APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत .... मुकाम सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

रमेश कुमार वगैराह .... बनाम .... रूपाराम वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 207 आर टी ए नं. 42 सन् 2020

तारीखहुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी रमेश कुमार वगैराह ओर से वकील श्री अमित कुमार धनदे द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 91, 188 व 207 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है – 1. वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। 04/9/20 सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
04.9.20	वादी रमेश कुमार वगैराह ओर से वकील श्री अमित कुमार धनदे द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 91, 188 व 207 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 18/9/20 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
08/09/20 रमेश मदनलाल	वकील वादी के आवेदन पर मय पत्रावली आज पेश हुई। नाईबान मय वकील उप.। नाईबान सार निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते अतः यह वाद आदेश [illegible] खारिज फरमावें। प्रकट तथ्यों एवं आवेदन के अवलोकनोपरान्त यह वाद [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	

प्रस्तावकर्ता [illegible] (वादी) वकील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2020.09.17 10:28:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner